न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– डिक्री 76 सन् 2018
पंजीयन दिनांक :– 17.05.2018

रूपसिंह पिता मोडीसिंह राजपूत निवासी भादसोड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
–अपीलांट

विरूद्ध

1. आशा कंवर पत्नी स्व0 किशन सिंह राजपूत, निवासी भादसोड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. नंदा कंवर उर्फ सोनू नाबालिग सरपरस्त जरिये माता आशा कंवर पत्नी स्व0 किशन सिंह राजपूत निवासी भादसोड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
3. हरिसिंह पिता रूपसिंह राजपूत निवासी भादसोड़ा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
4. भूमिधारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भदेसर केम्प कोर्ट कंथारिया
प्रकरण संख्या 117/2013 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.05.2016

उपस्थित– 1. चन्दनमल जणवा– अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रतनलाल जाट– रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2
3. रेस्पोडेन्ट सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 4

निर्णय **दिनांक :– 08.02.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में खातेदारी घोषणा व विभाजन बाबत वादपत्र धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत इस आशय का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

प्रस्तुत किया है कि ग्राम भादसौड़ा के खसरा नम्बर 872/1, 890/4, 900/5, 921, 924/3, 931/3, 931/6 व 3081/1081 कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा रेस्पोडेन्ट वादीगण एवं अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2 के संयुक्त कब्जे काश्त की है। उक्त कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट वादीगण का 1/3 हक हिस्सा एवं अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर उसी अनुरूप काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड में केवल अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 के ही नाम अंकित होने से खातेदारी घोषणा का वादपत्र स्वीकार करवाया जाकर विधिवत् बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 बावजूद सूचना दिनांक 04.09.2013 को अनुपस्थित रहे जिससे दिनांक 20.11.2013 को उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट वादीगण की ओर से साक्ष्य लिये जाकर वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुये दिनांक 30.09.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.05.2016 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की।

अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण व प्रतिवादीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने ग्राम भादसौड़ा की विवादित कृषि आराजीयात कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में रेस्पोडेन्ट वादीगण का 1/3 हक हिस्सा एवं अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हक हिस्सा निहित होने से तथा राजस्व रेकार्ड में केवल अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 के ही नाम अंकित होने से खातेदारी घोषणा का वादपत्र प्रस्तुत किया जाकर विधिवत् बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाये जाने का अनुतोष चाहा।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 की विधिवत तामील मानते हुए तथा उन्हें अनुपस्थित दर्शाते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट वादीगण की ओर से साक्ष्य लिये जाकर वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुये दिनांक 30.09.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। कमिश्नर ने स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये बल्कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त भादसौड़ा से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये जिसकी सूचना अपीलांट प्रतिवादी को नही दी गई। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.05.2016 को अन्तिम निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत के तहत बिना पक्षकारान को सूचित किये बिना किसी लिखित राजीनामें के पारित कर दिये जिसमें अपीलांट प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने

राजस्व अपील अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का कोई अवसर प्रदान नही किया गया, अंत मे अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा व विभाजन का वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 दिनांक 04.09.2013 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे दिनांक 20.11.2013 को उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हुए। पत्रावली में जवाबदावा प्रस्तुत नही होने से वाद बिन्दु की आवश्यकता नहीं थी। साक्ष्य वादी ली जाकर बहस सुनी गई, वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुये विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये। विभाजन प्रस्ताव हेतु नियुक्त कमिश्नर द्वारा विधिवत् फर्द बंटवाड़ा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके आधार पर वाद में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये जो विधिसम्मत है। अपील अस्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्म्त होना बताते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 वादीगण ने अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 3 व 4 प्रतिवादीगण के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व विभाजन बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम भादसौड़ा के खसरा नम्बर 872/1, 890/4, 900/5, 921, 924/3, 931/3, 931/6 व 3081/1081 कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 17 बिस्वा में रेस्पोडेन्ट वादीगण का 1/3 हक हिस्सा एवं अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 व रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हक हिस्सा निहित होने से खातेदारी घोषणा एवं विधिवत् बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाये जाने का अनुतोष चाहा। अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 की विधिवत तामील मानते हुए दिनांक 20.11.2013 को उनकी अनुपस्थिति दर्शाते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट वादीगण की ओर से साक्ष्य लिये जाकर वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुये

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर तहसीलदार भदेसर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव चाहे गये। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तहसीलदार ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त भादसौड़ा से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये। अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 को सूचना पत्र की तामील नही करवाई गई। सभी पक्षकारों के मौके पर उपस्थित हुये बिना तैयार किये गये उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 27.05.2016 को राजस्व लोक अदालत के तहत बिना पक्षकारान को सूचित किये बिना किसी लिखित राजीनामें के एकतरफा अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किये गये है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर के प्रकरण संख्या 117/2013 रेवेन्यू वाद मे पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 निरस्त किये जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उभयपक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे दिनांक 14.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)